न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/2/2021 दायर दिनांक 11.05.2021

उनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार कपासन , जिला चित्तौड़गढ़ ।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सिंहपुर, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिंहपुर तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत सिंहपुर नामान्तरण सं 562, दिनांक 29.01.2021

निर्णय दिनांकः 01.06.2021

—: निर्णयः—

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहसीलदार कपासन ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बनाकियाखुर्द पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी की ग्राम पंचायत सिंहपुर तहसील कपासन के द्वारा नामान्तरण संख्या 562 दिनांक 29.01.2021 को खोला गया। उक्त निर्णित नामान्तरण निरस्त होने योग्य है, प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रजिस्टर्ड दान पत्र विलेख के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 562 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 29.01.2021 को कोरम में निर्णित किया गया। यह कि रजिस्टर्ड विलेख के अनुसार दान ग्रहिता शांतिलाल पिता डालू दर्ज है, जबकि नामान्तरकरण में दान ग्रहिता विलेख के [illegible] शांतिलाल पिता डालू के बजाय शांतिलाल पिता मगनीराम दर्ज कर दिया गया। विलेख निरीक्षक की जांच के इस तथ्य को नजर अंदाज किया गया एवं कोरम ने भी इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए नामान्तरकरण को निर्णित कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.17 13:47:28 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार नामान्तरकरण की कार्यवाही में रजिस्टर्ड विलेख अनुसार दानग्रहिता शांतिलाल पिता डालू दर्ज होना था लेकिन शांतिलाल के पिता डालू के बजाय मगनीराम दर्ज कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण था।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बनाकियाखुर्द नामान्तरकरण संख्या 562 को निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान करावें। जिससे सही एवं शुद्ध नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सके।

सरपंच ग्राम पंचायत सिंहपुर ने जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण कोरम में पेश किया गया। नामान्तरकरण फैसल होने के पश्चात ध्यान में आया कि उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र में दानग्रहिता शांतिलाल पिता डालू दर्ज था जो नामान्तरकरण में शांतिलाल पिता मगनीराम दर्ज होकर फैसल हो गया। चूंकि नामान्तरकरण फैसल होकर जमाबन्दी में अमल दरामद किया जा चुका है अतः निवेदन है कि उक्त नामान्तरकरण का रिव्यू का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा पारित आदेश इन्तकाल संख्या 562 दिनांक 29.01.2021 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.17 13:47:28 IST
Reason: SelfAttested